

फा. सं. 20014/01/2021-रा.भा.(का.2)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

एनडीसीसी-2 भवन, बी विंग, चौथा तल,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001,
दिनांक: 12.01.2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सचिव, राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 43वीं ऑनलाइन (वीडियो कान्फ्रेंसिंग) के माध्यम से बैठक के आयोजन के संबंध में।

सचिव, राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 04 जनवरी से 07 जनवरी, 2022 तक प्रस्तावित 43वीं बैठक, कोरोना और ओमिक्रोन महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्थगित की गयी थी।

उक्त बैठक को मंत्रालयों/विभागों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुल 8 चरणों में किए जाने का निर्णय सचिव राजभाषा द्वारा लिया गया है।

अतः सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उक्त बैठक सम्पन्न किए जाने के लिए राजभाषा विभाग को अपने मंत्रालय/विभाग की आधिकारिक ई-मेल आई-डी उपलब्ध कराएं, जिस पर बैठक से संबंधित सूचना तथा वीडियो कान्फ्रेंसिंग का लिंक साझा किया जा सके। साथ ही, इस प्रयोजन हेतु एक नोटल अधिकारी (वरिष्ठतम राजभाषा अधिकारी) का नाम, पदनाम तथा मोबाइल नंबर राजभाषा विभाग को यथाशीघ्र raghubir.sharma75@nic.in पर उपलब्ध कराएं। ऑनलाइन बैठकों की तिथियों का निर्धारण होते ही सूचना प्रेषित की जायेगी।


(अभिलाषा मिश्रा)

उप निदेशक (कार्यान्वयन)

दूरभाष: 23438143

(मो): 9311712917

प्रति : केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य (संलग्न सूची के अनुसार)

(भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव (प्रशासन)/आर्थिक सलाहकार एवं अध्यक्ष,
विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. सचिव, राजभाषा विभाग के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
2. संयुक्त सचिव(रा.भा.) के निजी सचिव
3. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक(एनआईसी) को वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु